


14.8.19

पत्रावली पेश हुई वक्त इकालत बार-
बार आवाज लगवाई गई। अपीलान्ट
वकील या अपीलान्ट स्वयं उपस्थित
नहीं हुए। वकील रेस्यो० उपस्थित। वकील
अपीलान्ट/प्राथी अथवा स्वयं प्राथी के
उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थना पत्र/प्रकरण
अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से
कम है। बाद तकमील दाखिल हफ्तर
है।


पंजीकृत कलक्टर (चतुर्थी)

जयपुर

पत्रावली
1757
27/9/19